रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

34/2

REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 585] नई दिल्ली, बुधवार, जून 8, 2005/ज्येष्ठ 18, 1927
No. 585] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 8, 2005/JYAISTHA 18, 1927

विद्युत मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 8 जून, 2005

का. आ. 796(अ).—विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) (जिसे इसमें इसके पश्चात् अधिनियम कहा गया है) 10 जून, 2003 से प्रवृत्त हुआ है;

और अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (73) पारेषण लाइनों को स्थापित करने या प्रचालित करने के लिए प्राधिकृत अनुज्ञप्तिधारी के रूप में पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को परिभाषित करती है;

और अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (72) यह उपबंध करती है कि " पारेषण लाइन " से अभिप्रेत है ऐसी उच्च दाब केबल और शिरोपरि लाइन(जो किसी अनुज्ञप्तिधारी की वितरण प्रणाली का आवश्यक भाग नहीं है) जो एक उत्पादन केंद्र से दूसरे उत्पादन को या उपकेंद्र को विद्युत का पारेषण करती है, ऐसी किन्हीं स्टैप-अप और स्टैप-डाउन ट्रांसफार्मरों, स्विचगियरों और अन्य संकर्मों सहित जो ऐसी केबलों या शिरोपरि लाइनों के नियंत्रण के लिए आवश्यक है और प्रयोग किए जाते हैं तथा ऐसे भवनों या उनके भाग सहित, जो ऐसे ट्रांसफार्मरों, स्विचगियरों और अन्य संकर्मों के आवास के लिए अपेक्षित हैं;

और उसी परिसरों में अवस्थित उपकेंद्रों के प्रचालन कर्मचारिवृंद की आवास कॉलोनियों को विद्युत का प्रदाय करना पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विद्युत के पारेषण की गतिविधियों का एक समाकलित भाग है;

और ऐसे परिसरों, जहां ऐसे उपकेंद्र अवस्थित हैं, में प्रचालन कर्मचारिवृंद के लिए आवास की व्यवस्था करना ऐसे उपकेंद्र के समाधानप्रद प्रचालन के हित में आत्यंतिक रूप से आवश्यक है;

और उपकेंद्रों के प्रचालन कर्मचारिवृंद के आवास यूनिटों को ऊर्जा प्रदाय करने के लिए पारेषण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा अनुज्ञप्ति लेने की अपेक्षा के बारे में कठिनाइयां उद्भूत हुई हैं;

अब, अतः, केंद्रीय सरकार अधिनियम की धारा 183 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपकेंद्र के प्रचालन कर्मचारिवृंद की आवास कॉलोनियों को विद्युत के प्रदाय के संबंध में, कठिनाइयों को दूर करने के लिए, जो अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों, निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थातः-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

(1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम विद्युत(कठिनाइयों को दूर करना) (सातवां) आदेश, 2005 है ।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा ।

2. उपकेंद्र के आवास कॉलोनियों को विद्युत का प्रदाय

उपकेंद्र के प्रचालन कर्मचारिवृंद की, उस उपकेंद्र के परिसरों में अवस्थित आवास कॉलोनियों को पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विद्युत के प्रदाय को पारेषण विद्युत की गतिविधियों का समाकलित भाग समझा जाएगा और ऐसा अनुज्ञप्तिधारी विद्युत के ऐसे प्रदाय के लिए इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त करने के लिए अपेक्षित नहीं होगा ।

[फा. सं. 25/25/04-आर एंड आर]
अजय शंकर, अपर सचिव

MINISTRY OF POWER

ORDER

New Delhi, the 8th June, 2005

S.O. 796(E).—Whereas the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) (hereinafter referred to as the Act) came into force on the 10th June, 2003;

And whereas sub-section (73) of section 2 of Act defines a transmission licensee as a licensee authorized to establish or operate transmission lines;

And whereas sub-section (72) of section 2 of the Act provides that "transmission lines" means all high pressure cables and overhead lines (not being an essential part of the distribution system of a licensee) transmitting electricity from a generating station to another generating station or a sub-station, together with any step-up and step-down transformers, switch-gear and other works necessary to and used for the control of such cables or overhead lines, and such buildings or part thereof as may be required to accommodate such transformers, switch-gear and other works;

And whereas supply of electricity to the housing colonies of the operating staff of sub-stations located in the same premises is an integral part of the activity of transmission of electricity by a transmission licensee;

And whereas housing the operating staff in the premises, where such sub-station is located, is absolutely necessary in the interest of satisfactory operation of such sub-station;

And whereas difficulties have arisen regarding the requirement of taking licence for supplying power to the housing units of the operating staff of the sub-stations by transmission licensees;

Now, therefore, the Central Government in exercise of its powers conferred by section 183 of the Act hereby makes this order in respect of supply of electricity to the housing colonies of the operating staff of sub-station, not inconsistent with the provisions of the Act, to remove the difficulties, namely.-

1. Short title and commencement.-

(1) This order may be called the Electricity [Removal of Difficulty] (Seventh) Order, 2005.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. Supply of electricity to housing colony of sub-station.-

The supply of electricity by a transmission licensee to the housing colonies of the operating staff, located in the premises of that sub-station, of sub-station will be deemed to be an integral part of the activity of transmitting electricity and such licensee shall not be required to obtain licence under this Act for such supply of electricity.

[F. No. 25/25/04-R & R]
AJAY SHANKAR, Addl. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 582] नई दिल्ली, बुधवार, जून 8, 2005/ज्येष्ठ 18, 1927
No. 582] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 8, 2005/JYAISTHA 18, 1927

विद्युत मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 8 जून, 2005

का. आ. 793(अ).—विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) (जिसे इसमें इसके पश्चात् अधिनियम कहा गया है) 10 जून, 2003 से प्रवृत्त हुआ है;

और "उत्पादन केंद्र" को विद्युत उत्पादन करने के लिए किसी केंद्र के रूप में अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (30) में परिभाषित किया गया है जिसके अंतर्गत उस प्रयोजन के लिए प्रयुक्त स्टैप-अप ट्रांसफार्मर, स्विचयार्ड, स्विचगियर, केबल या अनुलग्नक उपस्कर सहित, यदि कोई हो, कोई भवन और संयंत्र, किसी उत्पादन केंद्र के प्रयोग के लिए आशयित कोई स्थल और उत्पादन केंद्र के प्रचालन कर्मचारिवृंद के आवास के लिए प्रयुक्त कोई भवन और ऐसा स्थान भी है जहां जल शक्ति द्वारा विद्युत उत्पादित की जाती है, जिसके अंतर्गत जल कपाट, आधोपांत संदर्भ, मुख्य और विनियामक जलाशय, बांध और अन्य जल विद्युत संकर्म भी हैं, किंतु किसी भी दशा में, उसके अंतर्गत कोई उपकेंद्र नहीं है ।

और अधिनियम की धारा 7 के उपबंधों के अनुसार, उत्पादन स्टेशन की स्थापना, प्रचालन और रखरखाव करने के लिए उत्पादन कंपनी के लिए अनुज्ञप्ति अपेक्षित नहीं है;

और उत्पादन केंद्र के परिसर में उत्पादन केंद्र के प्रचालन कर्मचारिवृंद को आवास प्रदान करना उत्पादन केंद्र के प्रचालन एवं रखरखाव के लिए अनिवार्य है और यह उत्पादन केंद्र का एक संभावित भाग बन जाता है;

उत्पादन केंद्र के प्रचालन कर्मचारिवृंद के आवास कॉलोनियों या आवास नगरी को उत्पादन कंपनियों द्वारा ऊर्जा प्रदाय करने के लिए अनुज्ञप्ति की अपेक्षा के बारे में कठिनाइयां उद्भूत हुई हैं;

अतः अब केन्द्रीय सरकार अधिनियम की धारा 183 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्पादन कंपनियों द्वारा अपने प्रचालन कर्मचारिवृंद की आवासीय कालोनियों को विद्युत प्रदाय करने के संबंध में, कठिनाईयों को दूर करने के लिए निम्नलिखित आदेश, जो अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों है, करती है, अर्थातः-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभः (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम विद्युत (समस्या को दूर करना) (चौथा) आदेश, 2005 है ।

(2) यह आदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा ।

2. उत्पादन कंपनियों द्वारा अपने प्रचालन कर्मचारिवृंद के आवास कॉलोनियों को विद्युत का प्रदाय

उत्पादन कंपनी द्वारा अपने उत्पादन केंद्र के प्रचालन कर्मचारिवृंद के आवास कॉलोनियों या शहरी कॉलोनियों को विद्युत के प्रदाय को विद्युत उत्पादित करने वाले उसके क्रियाकलाप का समाकलित भाग समझा जाएगा और उत्पादन कंपनी को इस अधिनियम के अधीन ऐसी विद्युत के प्रदाय के लिए अनुज्ञप्ति प्राप्त करना अपेक्षित नहीं होगा ।

[फा. सं. 25/25/2004-आर एंड आर]
अजय शंकर, अपर सचिव

MINISTRY OF POWER

ORDER

New Delhi, the 8th June, 2005

S.O. 793(E).—Whereas the provisions of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) (hereinafter referred to as the Act) came into force on the 10th June, 2003;

And whereas 'generating station' has been defined in sub-section (30) of section 2 of the Act as any station for generating electricity, including any building and plant with step-up transformer, switch yard, switch-gear, cables or other appurtenant equipment, if any used for that purpose and the site thereof, a site intended to be used for a generating station, and any building used for housing the operating staff of a generating station, and where electricity is generated by water-power, includes penstocks, head and tail works, main and regulating reservoirs, dams and other hydraulic works, but does not in any case include any sub-station;

And whereas no licence is required for a generating company to establish, operate and maintain a generating station as per the provisions of the section 7 of the Act;

And whereas providing the housing to the operating staff of a generating station in the vicinity of the generating station is essential for operation and maintenance of the generating station and forms an integral part of the generating station;

And whereas difficulties have arisen regarding the requirement of licence for supplying power to the housing colonies or townships housing the operating staff of the generating stations by the generating companies;

Now, therefore, the Central Government in exercise of its powers conferred by section 183 of the Act hereby makes this order in respect of supply of electricity by the generating companies to the housing colonies of its operating staff, not inconsistent with the provisions of the Act, to remove difficulties, namely:-

1. **Short Title & Commencement** :-(1) This order shall be called the Electricity [Removal of Difficulty] (Fourth) Order 2005.

(2) This order shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. Supply of electricity by the generating companies to the housing colonies of its operating staff:-

The supply of electricity by a generating company to the housing colonies of, or townships housing, the operating staff of its generating station will be deemed to be an integral part of its activity of generating electricity and the generating company shall not be required to obtain licence under this Act for such supply of electricity.

[F. No. 25/25/2004-R & R]
AJAY SHANKAR, Addl. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

भाखड़ा ब्यास प्रबन्ध बोर्ड सचिवालय
मध्य मार्ग, सैक्टर 19-बी, चंडीगढ़-160019
दूरभाष : 0172-5011760 फैक्स: 0172-2549857

सेवा में,

विशेष सचिव

सेवा में,

1. मुख्य अभियन्ता, प्रणाली परिचालन, भा.व्या.प्र.बोर्ड, चण्डीगढ़।
2. मुख्य अभियन्ता, पारेषण प्रणाली, भा.व्या.प्र.बोर्ड, चण्डीगढ़।
3. मुख्य अभियन्ता, उत्पादन, भा.व्या.प्र.बोर्ड, नंगल टाऊनशिप।
4. मुख्य अभियन्ता, भाखड़ा डैम, भा.ब्या.प्र.बोर्ड, नंगल टाऊनशिप।
5. मुख्य अभियन्ता, ब्यास डैम, भा.व्या.प्र.बोर्ड, तलवाड़ा टाऊनशिप।
6. मुख्य अभियन्ता, ब्यास सतलुज लिंक, भा.व्या.प्र.बोर्ड, सुन्दरनगर।

क्रमांक:- 33473-513/बी-618/सब/वा-8/1-सामान्य दिनांक:- 7/12/11

विषय:- इंजीनियरिंग स्नातक, सैंडविच कोर्स (डिग्री संस्थाओं से विद्यार्थी) तकनीकी शिक्षु सैंडविच कोर्स (डिप्लोमा संस्थाओं से विद्यार्थी) तथा तकनीकी (व्यवसायिक) शिक्षुओं के वजीफे की संशोधित दरों को अपनाने हेतु स्वीकृति।

उपर्युक्त विषय पर इस कार्यालय के पत्र क्रमांक: 1487-1515/बी-618/सब/वा-8/1-सामान्य दिनांक 16.01.2009 के अनुक्रम में, इंजीनियरिंग स्नातक, सैंडविच कोर्स (डिग्री संस्थाओं से विद्यार्थी) तकनीकी शिक्षु, सैंडविच कोर्स (डिप्लोमा संस्थाओं से विद्यार्थी) तथा तकनीकी (व्यवसायिक) शिक्षुओं के वजीफे की संशोधित दरें जो भारत सरकार, श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या सा.का.नि 228 (अ) दिनांक 23.3.2011 (प्रति संलग्न) द्वारा अधिसूचित की गई है के अनुसार भा.व्या.प्र.बोर्ड में कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए 50% राशि के भुगतान सम्बन्धी अध्यक्ष, भाखड़ा ब्यास प्रबन्ध बोर्ड की संस्वीकृति प्रदान की जाती है।

संलग्न/उक्त

विशेष सचिव

प्रतिलिपि:-

1. वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी, भा.व्या.प्र.बोर्ड, चण्डीगढ़ को उनके अशा: पत्र क्रमांक: 145/ई/75 भाग-II-4360 दिनांक 10.10.2011 के सन्दर्भ में।
2. सभी अधीक्षण अभियन्ता/निदेशक, भा.व्या.प्र.बोर्ड।
3. सभी उप मुख्य लेखा अधिकारी/वरि.लेखा अधिकारी, भा.व्या.प्र.बोर्ड।

संलग्न/उक्त

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 49] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 23, 2011/चैत्र 2, 1933
No. 49] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 23, 2011/CHAITRA 2, 1933

श्रम और रोजगार मंत्रालय
(नियोजन और प्रशिक्षण महानिदेशालय)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 मार्च, 2011

सा.का.नि. 228(अ).—केन्द्रीय सरकार, शिशु अधिनियम, 1961 (1961 का 52) की धारा 37 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय शिशुता परिषद् से परामर्श करने के पश्चात्, शिशुता नियम, 1992 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम शिशुता (संशोधन) नियम, 2011 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. शिशुता नियम, 1992 के नियम 11 के उप-नियम (2) में खंड (क), खंड (ख), खंड (ग), खंड (घ) और खंड (ङ) और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(क)	स्नातक शिशु	3560/- ₹ प्रतिमास
(ख)	अंतःपूर्णा पाठ्यक्रम (डिग्री संस्थाओं से छात्र)	2530/- ₹ प्रतिमास
(ग)	तकनीकी शिशु	2530/- ₹ प्रतिमास
(घ)	अंतःपूर्णा पाठ्यक्रम (डिप्लोमा संस्थाओं से छात्र)	2070/- ₹ प्रतिमास
(ङ)	तकनीकी (व्यवसायिक) शिशु	1970/- ₹ प्रतिमास"

[फा. सं. डीजीईटी-23(4)(3304)/2010-एपी]

शारदा प्रसाद, महानिदेशक/संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र में सं. सा.का.नि. 356 तारीख 1 अगस्त, 1992 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन सं. सा.का.नि. 838(अ), तारीख 18 अक्तूबर, 2010 द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT
(Directorate General of Employment and Training)
NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd March, 2011

G.S.R. 228(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 37 of the Apprentices Act, 1961 (52 of 1961), the Central Government, after consulting the Central Apprenticeship Council, hereby makes the following rules further to amend the Apprenticeship Rules, 1992 namely :-

1. (1) These rules may be called the Apprenticeship (Amendment) Rules, 2011.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Apprenticeship Rules, 1992, in rule 11, in sub-rule (2), for clauses (a), (b), (c), (d) and (e) and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :-

"(a)	Graduate Apprentices	₹ 3560 per month
(b)	Sandwich Course (Students from Degree Institutions)	₹ 2530 per month
(c)	Technician Apprentices	₹ 2530 per month
(d)	Sandwich course (Students from Diploma Institutions)	₹ 2070 per month
(e)	Technician (Vocational) Apprentices	₹ 1970 per month."

[F. No. DGET-23(4)(3304)/2010-AP]

SHARDA PRASAD, Director General/Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India *vide* number G.S.R. 356, dated the 1st August, 1992 and last amended *vide* number G.S.R. 838(E), dated the 18th October, 2010.

1118 GI/2011

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054

तार : BATNORTH
E-Mail: batnorth@dataone.in
Web: www.boatnr.org

दूरभाष/Ph : 0512-2584056, 7
फैक्स / Fax : 0512-2581503
NTMIS : 0512-2584057

शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड

(उत्तरी क्षेत्र)

BOARD OF APPRENTICESHIP TRAINING

(Northern Region)

(भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग)

(Govt. of India, Ministry of H.R.D., Deptt. Of Higher Education)

प्लॉट नं0 16, ब्लॉक 1-ए
लखनपुर, कानपुर-208024 (उ0प्र0)
Plot No. 16, Block 1 A
Lakhanpur,Kanpur-208024(UP)

पत्रांक
Ref. : बी0टी0/सरकुलर-1/439-2938

दिनांक
Dated : 26-04-2011

समस्त नियोक्ता एवं
विभागाध्यक्ष, इंजीनियरिंग कालेज/ पालीटेक्निक/व्यावसायिक संस्थान
उत्तरी क्षेत्र ।

विषय : शिक्षु अधिनियम 1961 के अन्तर्गत प्रशिक्षणरत शिशिक्षुओं को देय वृत्तिका राशि (Stipend) के पुनरीक्षण के संबंध में ।

प्रिय महोदय,

भारत सरकार ने अपने राजपत्र असाधारण भाग-2-खण्ड 3-उपखण्ड (i) दिनांक 23 मार्च 2011 के द्वारा अभि0 स्नातक, डिप्लोमाधारी एवं व्यावसायिक शिशिक्षुओं को देय न्यूनतम वृत्तिका राशि दरों को पुनरीक्षित कर दिया है जिसकी एक प्रति इस पत्र के पृष्ठ भाग पर आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु मुद्रित है ।

बढ़ी हुई दरें दिनांक 23 मार्च 2011 से प्रभावी है । उक्त दरों के अनुसार सभी पंजीकृत शिशिक्षुओं को किये गये भुगतान के 50 प्रतिशत अंशदान की प्रतिपूर्ति इस कार्यालय द्वारा पूर्व की भांति की जायेगा । आपसे अनुरोध है कि कृपया शिशिक्षुओ को पुनरीक्षित दरों से ही भुगतान करें ।

समस्त प्रपत्र एवं अन्य सूचनाएं बोर्ड की Website : www.boatnr.org पर उपलब्ध हैं।

भवदीय,
रमेश चन्द्र शुक्ल
(रमेश चन्द्र शुक्ल)
निदेशक

All Employers & Heads of Engg.College/Polytechnic/ Vocational Institutions in Northern Region.

Subject : **Revision of Rates of Stipend for apprentices undergoing training under Apprentices Act 1961.**

Dear Sir,

The Govt. of India vide Gazette Notification in the Gazette of India (Extra ordinary) Part-II-Section-3-Sub Section (i) dated 23rd March, 2011 has revised the minimum rates of Stipend payable to Engg. Graduates, Technician (Diplomaholder) and technician (Vocational) Apprentices. A copy of the Gazette is reproduced on the back for your information and necessary action.

The revised rates are effective from 23rd March, 2011. **50% of this amount is reimbursable from the Board of Apprenticeship Training (N.R.) in case of apprentices registered with the Board** as per previous practice. You are advised to pay the enhanced rates of stipend as given on the back and claim 50% accordingly.

All relevant Proformae & other information is available at Board's Website : www.boatnr.org.

Yours faithfully,

(R. C. SHUKLA)
DIRECTOR

PS-53/01